

9/1/22
13-5-2022

310
पत्र नं- 1779/2022
मंडल नं- 18-5-2022

आकार पत्र-1
पुनर्ग्रहण आदेश

(शासनादेश संख्या- 744/एक-1- 2016- 20(5)/2016 दिनांक जून 03, 2016 के अनुसार)

शासनादेश सं0-258(1)16-73-रा-1 दिनांक 16.06.1981 का आंशिक परिष्कार करते हुये उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उप धारा-4 के खण्ड-(ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके एवं शासकीय अधिसूचना संख्या- 740/ एक-1- 2016- 20(5)/2016, दिनांक- जून 03, 2016 में प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये, मैं चन्द्र विजय सिंह, जिलाधिकारी, सोनभद्र, अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि जो अब ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	क्षेत्रफल (हे0) में	भूमि की श्रेणी	प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सोनभद्र	राबर्टसगंज	विजयगढ़	देवहार	416क मि0	4.2263 हे0	5-3-ड. अन्य कृषि योग्य बंजर	(पटवध से बसुहारी सम्पर्क मार्ग के लिए) वन विभाग क्षतिपूरक वनीकरण हेतु

पुनर्ग्रहीत भूमि का उपयोग स्तम्भ-9 में उल्लिखित प्रयोजन में किया जायेगा।

(चन्द्र विजय सिंह)
जिलाधिकारी,
सोनभद्र।

कार्यालय जिलाधिकारी, सोनभद्र।

पत्र सं0 - 1779 / डीएलआरसी-भू0पुनर्ग्रहण/2022 दिनांक- मई 06, 2022

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- सचिव, उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ।
- 2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 अनुभाग-5 लखनऊ।
- 3- आयुक्त, विन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर।
- 4- प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, सोनभद्र/ओबरा/ रेनुकूट।
- 5- उप जिलाधिकारी, राबर्टसगंज को अनुपालन हेतु प्रेषित।
- 6- अधिशासी अभियन्ता, पीएमजीएसवाई खण्ड लो0नि0वि0 सोनभद्र।

अ.ए.सि/प्र

जिलाधिकारी,
सोनभद्र।



BHULEKH
Uttar Pradesh

उद्घरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

11/Jun/2024 16:38:17

ग्राम क्रमांक : 213951 ग्राम का नाम (पराना) : देवल (बिजयगढ़) तारीख : राबईसाब जन्मद : सोनभद्र फसली वर्ष : 1430-1435 (01 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2028) भाग : 1 (1) खाला संख्या : 00033

श्रेणी : 5-3-ड / अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि।

खतौदार का विवरण		खतौदारी प्राप्त होने का विवरण			भूमि का विवरण		खतौदार का अंश		
खसत/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाली कोड / अपार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैम नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पला / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत बाद संख्या अथवा अंदेश संख्या / अंदेश का दिनांक / जाल का अपार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यसीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में(हे०)	(9) खतौदार द्वारा देय भू-राजस्व :	
416क	बन्जर / 0 / नि. ग्राम		-	416क(2139510416200157)	4.5100			0.00	
कुल गाटे- एक कुल क्षेत्रफल- चार दामलत पैम एक राज्य राज्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - राज्य दामलत राज्य राज्य रुपये									
नामानासण / परिवर्तन का विवरण		खतौदा किया गया			दर्ज किया गया				
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			
न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत बाद संख्या अथवा अंदेश संख्या / अंदेश का दिनांक / नामानासण का अपार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम (पदनाम) / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाली कोड / अपार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैम नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पला / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	गाटे का खसत / नम्बर / यसीक कोड	क्षेत्रफल(हे०)	नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाली कोड / अपार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैम नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पला / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	गाटे का खसत नम्बर / यसीक कोड	क्षेत्रफल(हे०)			
(17) भूमि के सम्बन्ध में विचारणीय राजस्व बाद की कम्प्यूटरीकृत संख्या :									

Hindi

अधिशर्सी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०खण्ड
लो०नि०वि०, सोनभद्र

11/Jun/2024 16:38:17

पूर्व अंग्रेजी का विवरण

1) उत्तराधिकारी राजा वंश, सोमनाथ के अंग्रेज दि. 27-06-19 के अनुसार भारतीय वन अधिनियम की धारा-20 की विधि के अनुसार ग्राम देवहार पराना विजयगढ़ तहसील राजा वंश जिला सोमनाथ की वर्तमान अंश नं० 35/2.55 व 4/0.98 व 5/10.100 व 6/0.260 व 7/10.230 व 8/0.230 व 9/0.35 व 10/0.570 व 11/0.31 व 12/0.190 व 13/0.380 व 14/0.510 व 15/0.300 व 16/0.150 व 17/0.260 व 18/0.040 व 19/1.700 व 20/0.550 व 21/0.620 व 22/0.480 व 23/0.300 व 24/0.570 व 25/0.200 व 26/0.310 व 27/10.300 व 28/0.140 व 29/0.090 व 31/0.160 व 45/0.440 व 46/0.330 व 47/0.170 व 48/0.190 व 49/0.670 व 50/0.140 व 55/0.500 व 66/0.540 व 67/1.080 व 68/0.470 व 69/0.460 व 70/0.240 व 87/0.590 व 88/0.550 व 89/0.310 व 90/0.420 व 93/0.020 व 94/0.280 व 95/0.220 व 136/0.13.0710 व 36/0.230 व 37/0.220 व 38/0.350 व 39/0.100 व 40/0.070 व 41/10.260 व 42/0.200 व 43/0.090 व 44/0.290 व 45/0.440 व 50/0.140 व 51/0.060 व 52/0.050 व 120/0.340 व 121/0.210 व 153/0.300 व 179/0.460 व 179/0.070 व 180/0.130 व 181/0.100 व 183/0.100 व 184/0.620 व 185/0.460 व 186/0.220 व 187/0.150 व 188/0.130 व 189/0.040 व 190/0.010 व 191/0.140 व 192/0.070 व 193/0.280 व 194/0.160 व 195/0.030 व 196/0.130 व 197/0.080 व 198/0.030 व 199/0.050 व 298/0.21.770 व 304/0.130 व 305/0.120 व 306/0.410 व 315/0.410 व 316/0.360 भूमि को सुनने आती नक़्क़ा न के बरौ है ग्राम पूर्व मुताबिक के अनुसार परा धारा 20 अर्थात् वन दर्ज हो। हठ 00/का 14-10-2019

2) उत्तराधिकारी राजा वंश, सोमनाथ के अंग्रेज दि. 27-06-19 के अनुसार भारतीय वन अधिनियम की धारा-4 की विधि के अनुसार ग्राम देवहार पराना विजयगढ़ तहसील राजा वंश जिला सोमनाथ की वर्तमान अंश नं० 2/का.3.800 व 485/36.22 व 486/36.38 व 487/का.97.00 व 472/का.83.600 व 473/का.34.93 व 474/का.46.010 व 531/10.160 व 532/16.210 व 533/30.204 व 535/19.92 व 527/1.79 व 431/0.220 व 433/0.160 व 434/0.210 व 435/0.100 व 436/0.100 व 437/0.070 व 438/0.160 व 439/0.120 व 440/0.330 व 441/0.450 व 442/0.110 व 443/0.190 व 444/0.210 व 445/0.380 व 446/0.54 व 447/0.54 व 448/1.510 व 449/1.790 व 453/का.0.530 व 460/1.540 व 473/का.34.93 व 474/0.29 व 475/0.72 व 476/4.15 व 481/0.38 व 482/0.050 व 485/0.690 व 486/0.81 व 487/0.28 व 488/3.89 व 489/5.410 व 470/12.75 व 471/11.54 व 472/का.83.6 व 473/का.34.93 व 472/का.16.537 व 541/का.73.300 व 542/19.360 व 543/का.70 व 536/12.100 व 538/7.640 व 539/18.28 व 486/36.38 व 487/का.97.00 व 488/51.33 व 486/1.21 व 490/0.640 व 491/0.370 व 492/0.39 व 493/0.33 व 494/0.52 व 496/0.32 व 497/0.54 व 498/0.32 व 499/0.49 व 500/0.42 व 501/0.29 व 502/0.100 व 503/0.25 व 504/0.31 व 505/0.340 व 506/0.470 व 507/0.680 व 508/0.170 व 509/0.27 व 510/0.61 व 511/0.78 व 512/0.39 व 513/0.25 व 514/0.85 व 515/0.330 व 516/0.48 व 517/0.300 व 518/1.08 व 519/0.12 व 520/0.43 व 521/0.83 व 522/0.95 व 523/0.73 व 524/0.44 व 525/0.620 व 526/0.760 व 527/1.79 व 528/0.41 व 529/0.22 व 530/0.17 व 531/0.160 व 532/16.21 व 533/16.21 व 539/50.61 व 2/का.0.41 व 220/का.0.350 व 287/0.210 व 541/का.73.30 व 297/0.21 व 311/0.32 व 319/का.0.170 व 416/का.0.100 व 473/का.0.400 व 472/का.1.300 व 487/का.0.100 व 541/का.0.530 भूमि को सुनने आती नक़्क़ा न के बरौ है ग्राम पूर्व मुताबिक के अनुसार परा धारा 20 अर्थात् वन दर्ज हो। हठ 00/का 14-10-2019

3) कार्यालय जिलाधिकारी सोमनाथ के पुराणि प्र सख्या 682/ टी.एल.राजीव भू पुराणि/2020 दिनांक 27-08-2020 ग्राम देवहार पराना विजयगढ़ तहसील राजा वंश जिला सोमनाथ की गाटा सख्या 417 क्षेत्रफल 0.0625 है भूमि श्रेणी 5-3-3. अन्य कृषि योग्य वनार भूमि को तेरुडारी ग्राम साक्षर पाण्डेय राजेंद्र सोहन राजेंद्र पाण्डेय एवं सख्खार मिश्र (समिति) गोरे तथा गणीप जलार्थी विभाग) उपा. के प्रयोजन के निमित्त पुराणि की जाती है। यदि किसी कारणवश पुराणि भूमि का उपयोग इस निमित्त नहीं किया जाता है तो यह भूमि पूर्ववत् ग्रांथवत् में सन्निहित हो जायेगी। हठ नं०. 11-09-2020

4) ग्रामसदर स-258(1)16-73-म-1 दिनांक 16-06-1981 का अंतिम परिष्कार करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 (उपा. अधिनियम सख्या 8 स 2012) की धारा-59 की उप धारा-4 के खण्ड (ग) तथा उभयान्वय सहित नियमान्वली, 2016 के नियम 65 द्वारा प्राप्त भूमि का प्रयोग करके पूर्व गाटावत् अधिग्रहण सख्या-740/एन-1-2016-20(5)/2016 दिनांक-वृत्त 03, 2016 से प्रतिनिधित्व अधिकारी का प्रयोग करने एवं ऐ. व. चन्द्र विजय सिंह, जिलाधिकारी, सोमनाथ सदन अनुसार के सम्म-6 में उल्लिखित भूमि, जो अब ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में स्थित थी, फिर से अपने अधिकार में लेना है। पुराणि भूमि का विवरण- ग्राम देवहार पराना विजयगढ़ तहसील राजा वंश जिला सोमनाथ के अंश नं० 416 क. नि. सख्या 4.2263 है, श्रेणी 5-3-3. एवं पर्वत। पुराणि भूमि का उपयोग पट्टन से सहायती समर्थ मार्ग के लिए एवं विभाग क्षतिपूर्त वनीकरण हेतु किया जायेगा। हठ नं०. 27-05-2022

उद्घरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

11/Jun/2024 16:38:17

ग्राम क्रमांक : 213951	ग्राम का नाम (परगना) : देवर (बिबराह)	तहसील : रावर्टसांज	जनपद : सोनभद्र	फसली वर्ष : 1430-1435 (01 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2028)	पन्ना : 1	(1) खाल संख्या : 00033
कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (शुद्ध (माप) के बाद ग्रस्त/विक्रय/भू-नक्शा/नामांतरण वाली) हेतु खसरा संख्या पर निलिफ़ करें Disclaimer: उक्त ऑनलाइन माप अनसुनिधित्व है, उक्त विवरण अधीन है, तहसील का मालिक केन्द्र एक्स सी. एम. सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्घरण की प्रमाणित प्रति ग्राम की जाँच करनी है। Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Tehsil Computer Centre. Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.						
						

अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०खण्ड
सो०नि०वि०, सोनभद्र